उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

ई–मेल आई.डी. : **hajcommittee.up@gmail.com**, shcuplko@rediffmail.com वेबसाइट : **hajcommittee.up.gov.in**

हज–2026 की यात्रा के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश

- हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा तीसरी एवं अन्तिम किश्त के रुप में जमा की जानी वाली धनराशि की घोषणा दिनांक 15.03.2026 तक कर दी जायेगी परन्तु इस धनराशि में कैटरिंग की धनराशि सम्मिलित नही होगी। जो हज यात्रियों को बाद में जमा करनी होगी।
- हज 2026 में मक्के में स्वयं बिल्डिंग में किचन व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है सभी हज यात्रियों को कैटरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत खान–पान उपलब्ध करायी जायेगी। भारत में अनेक प्रान्त हैं जहां लोग अपनी सुविधानुसार प्रान्तीय खान–पान का सेवन करते हैं परन्तु हज में ऐसा सम्भव नही है। इसीलिये हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई एक कामन फूड का चयन कैटरिंग सेवा हेतु विचार किया जा रहा है।
- हज 2026 में जाने वाले प्रत्येक हज यात्री को उड़ान स्थल पर बुकिंग उपरान्त प्रपत्रों के वितरण के समय एक स्मार्टवाच भी उपलब्ध करायी जायेगी। यह स्मार्टवाच डाटा केबिल से रिचार्ज होगी। जिसे हज यात्रा हेतु प्रस्थान करने उपरान्त प्रत्येक हज यात्री को अपनी कलाई पर पहनना आवश्यक होगा। इस स्मार्टवाच में यात्री के यात्रा से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध होगा। स्मार्टवाच इण्डिया में काम नही करेगी सऊदी अरब पहुंचने उपरान्त ही स्वतः एक्टिवेट हो जायेगी। यह स्मार्टवाच जी0पी0एस0 से कनेक्ट होगी जिससे यात्री के बिछड़ जाने अथवा किसी अन्य समस्या होने पर इसमें लगे बटन को यात्री द्वारा दबाते ही सीधे कन्ट्रोल रुम में सिगनल पहुंच जायेगा। जिससे यात्री की सही लोकेशन पता लगाने उपरान्त उसकी समस्या निवारण किया जाना सम्भव हो सकेगा। हज यात्री अपनी स्मार्टवाच की चार्जिंग पूर्ण रखें अन्यथा डिस्चार्ज होने पर यह कार्य नही करेगी जिससे यात्री को आवश्यकता पड़ने पर असुविधा होगी।
- सभी हज यात्रियों को उड़ान तिथि आवंटित हो चुकी है। यात्रियों को उड़ान तिथि से दो दिवस पूर्व निर्धारित उड़ान स्थल पर पहुंचकर अपनी फ्लाइट की बुकिंग कन्फर्म कराना आवश्यक होगा। बुकिंग कर्न्फमेशन हेतु यात्री अपने सगे–सम्बन्धी को भेजकर भी करा सकते हैं परन्तु उड़ान तिथि से 24 घण्टे पूर्ण यात्री को उड़ान स्थल पहुंचना होगा। यात्रा से सम्बन्धित प्रपत्र सम्बन्धित यात्री को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- हज 2026 हेतु चयनित हज यात्रियों से पासपोर्ट पहले से जमा नही कराये गये हैं बुकिंग के समय प्रत्येक हज यात्री को अपना पासपोर्ट लाना आवश्यक होगा। यात्रियों को स्वयं यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि उनका पासपोर्ट डैमेज श्रेणी के अन्तर्गत न हों अन्यथा यात्रा बाधित हो जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित हज यात्री का ही होगा।
- प्रत्येक हज यात्री को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर हज सुविधा एप एवं नुसुक एप डाउनलोड करना अनिवार्य है बिना नुसुक एप के मदीने में रियाजु जन्नाह हेतु पंजीकरण सम्भव नही होगा। जिन हज यात्रियों ने अपने नम्बर के स्थान पर किसी अन्य सगे–सम्बन्धी/एजेण्ट का नम्बर अंकित कर रखा है उनसे अनुरोध है कि उनके स्थान पर अपना नम्बर रजिस्टर्ड करा लें अन्यथा हज यात्री को हज यात्रा के दौरान असुविधा होगा।

उक्त दिशा–निर्देश हज यात्रियों के हितार्थ एवं उनकी जानकारी के लिये निर्गत किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से चयनित समस्त हज प्रशिक्षक एवं स्टेट हज इन्स्पेक्टर से अनुरोध है कि वह अपने ज़िले एवं उन्हें आवंटित हज यात्रियों तक उक्त सूचना पहुंचाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से प्रत्येक हज यात्री को उक्त सूचना से जागरुक करा दें।

एस0 पी0 तिवारी
सचिव/कार्यपालक अधिकारी